□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
तारांकित प्रश्न संख्या : 279
05 □□□□□, 2018 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सीय लापरवाही

* 279. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः
श्रीमती कोथापल्ली गीताः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान पूरे देश म केन्द्र सरकार के अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों म चिकित्सीय लापरवाही के कई मामलों को जानकारी मिली है;
(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध म सरकार को क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध क्या कारवाई को गई है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान अस्पतालों म शिकायत निवारण समितियों को प्राप्त हुई शिकायतों को अस्पताल-वार संख्या कितनी है तथा इस पर क्या कारवाई को गई है;
(घ) क्या सरकार ने देश म निजी अस्पतालों द्वारा लूट तथा आपराधिक लापरवाही को रोकने के लिए कोई नियम बनाए ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस प्रकार को लूट और आपराधिक लापरवाही को घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक उपाए किए गए ह?

□त□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ मंत्री (श्री □□□ प्र□□□ □डु□)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

f□□□□ 05 □□□□□, 2018 □□ □□□□□□□□ लोक सभा तारांकित प्रश्न □□279 □□□त□र म उल्लिखित □□□□□

(क) से (ग) : सरकार को चिकित्सा संबंधी लापरवाही के कुछ मामलों म समय समय पर मीडिया म आने वाली रिपोर्टों के बारे म जानकारी है। तथापि, स्वास्थ्य के राज्य का विषय होने के कारण, ऐसे मामलों को रोकने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए कारवाई करने को जिम्मेदारी राज्य सरकारों को है। अत: जब भी ऐसी शिकायत प्राप्त होती ह, उन्ह संबंधित राज्यों को अग्रेषित कर दिया जाता है। तथापि ऐसी शिकायतों का लेखा-जोखा कद्रीकृत रूप से नहों रखा जाता।

(घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार ने नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियम) अधिनियम, 2010 लागू किया है और नैदानिक स्थापना (कद्र सरकार) नियमावली, 2012 को अधिसूचित किया है। ये निजी क्षेत्र सहित नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियम का प्रावधान करते ह। यह अधिनियम वतमान म दस राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों म लागू है। जिन राज्यों म यह अधिनियम लागू है, वहां नैदानिक स्थापनाओं से मानदंड पूरा करना अपेक्षित है जैसे कि सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक, कार्मिकों को न्यूनतम आवश्यकता, रिकॉड व रिपोट रखना तथा उपयुक्त स्थान पर दरों को प्रदर्शित करना। नैदानिक स्थापनाओं के लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए मानक उपचार दिशा-निदश का अनुपालन करना भी अपेक्षित है और प्रत्येक किस्म को प्रक्रिया और सेवा के लिए प्रभार को दर राज्य सरकारों के साथ परामश करके समय समय पर निर्धारित दरों के भीतर ही होनी चाहिए। उक्त अधिनियम के कायान्वयन और प्रवतन का काय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कायक्षेत्र म आता है।

(ङ) नैदानिक स्थापनाएं (पंजीकरण एवं विनियम) अधिनियम, 2010 म लोक शिकायतों के प्रभावपूण समाधान और अनैतिक चिकित्सा पद्धतियों को रोकथाम के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पयाप्त गुंजाईश है। इसके अलावा, एमसीआई और राज्य चिकित्सा परिषदों को भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम 2002 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए डॉक्टरों के विरूद्ध कारवाई करने को शक्तियां प्राप्त ह। अधिक मूल्य वसूलने, चिकित्सा परिचया म कमी आदि से संबंधित शिकायतों को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला/राज्य/राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच म भी दायर कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लापरवाही और आपराधिक काय को प्रकृति के अनुसार, भारतीय दंड संहिता /आपराधिक प्रक्रिया संहिता को धाराएं भी लागू होती ह।

******